॥ श्री गणेशाय नमः॥

Dev Bhoomi Medical College of Ayurveda & Hospital

APPROVED BY NCISM, MINISTRY OF AYUSH, GOVT. OF INDIA & AFFILIATED TO UTTARAKHAND AYURVED UNIVERSITY, DEHRADUN

Ref. UUS/DBMCAH/2026-27/0049 12 Sep. 2026

सेवा में,

कुलसचिव महोदय
उत्तराखंड आर्युवेद विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय परिसर, हर्रावाला देहरादून, उत्तराखंड

विषयः शैक्षणिक सत्र 2026–2027 में प्रवेश हेतु कांउसलिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त पत्रांक 1/2/2026 - AACCC दिनॉक 31/08/2026 के संदर्भ में शैक्षणिक सत्र 2026–2027 में प्रवेश हेतु काउंसलिग के लिए आपके द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर निम्न विवरणानुसार आपके अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

स्नातक पाठयक्रम (BAMS)हेतुः–

क0सं0	संस्था का नाम	सीटों की संख्या	शिक्षण शुल्क	अन्य शुल्क	कुल शुल्क	काउंसलिंग की सूचना हेतु दूरभाष नंबर
1	देव भूमि मेडिकल कॉलेज ऑफ आर्युवेद एवं हॉस्पिटल	49	प्रथम वर्ष–रू 215000/–	रू 170500	रू 385500	1800–103–4049 9411519803मेल आई0डी0 info@dbuu.ac.in
			द्वितीय वर्ष–रू 215000/–	रू 155000	रू 370000	
			तृतीय वर्ष–रू 215000/–	रू 155000	रू 370000	
			चतुर्थ वर्ष–रू 215000/–	रू 155000	रू 370000	
			अंतिम वर्ष–रू 107000/–	रू 148000	रू 255000	
हॉस्टल शुल्क						
2	हॉस्टल नामांकन शुल्क			रू 5000/–		वापसी नहीं
3	हॉस्टल नामांकन शुल्क (3 सीट के लिए)			रू 110000/–		प्रति वर्ष

शुल्क वापसी नीति

1. यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउसलिंग में आंबटित सीट पर प्रवेश के उपरान्त द्वित्तीय चरण की कांउसलिंग में सम्मिलित होकर सीट अपग्रेड कराने का इच्छुक है तो उसे इसके लिए संस्थान के प्राचार्य की अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी तथा उसके द्वारा जमा शुल्क से रू 5000/– की कटोती की जायेगी। यदि बिना अनुमति प्राप्त किये द्वित्तीय चरण की काउसलिंग में सम्मिलित होता/होती है, तो सम्पूर्ण जमा शुल्क जब्त कर दिया जायेगा।

2. यदि कोई अभ्यर्थी द्वितीय चरण की कांउसलिंग में आंबटित सीट पर प्रवेश के उपरान्त मॉप–अप चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित होने का इच्छुक है तो इसके लिए उसे संस्थान के प्राचार्य का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) अनिवार्य रूप से लेना होगा तथा जमा शुल्क से रू 100000/– की कटोती की जायेगी। यदि बिना अनापत्ति प्राप्त किये मॉप–अप चरण काउसलिंग में सम्मिलित होता/होती है, तो सम्पूर्ण जमा शुल्क जब्त किया जायेगा।

3. यदि अन्तिम मॉप–अप चरण/भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी अपना प्रवेश किसी भी कारण से निरस्त कराता है तो उसे पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि (4 वर्ष 6 महीने) का शिक्षण शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा तद पश्चात ही संस्था द्वारा प्रवेश निरस्त स्वीकृत किया जाना संभव होगा।

4. छात्र/छात्रा के लिए हॉस्टल लेना अनिवार्य नहीं है। छात्र/छात्रा इसका चयन स्वंय करें।

भवदीय,

15/09/2026.

प्राचार्य

PRINCIPAL
Dev Bhoomi Medical College of Ayurveda & Hospital
देवभूमि मेडिकल कॉलेज अॅण्ड आयुर्वेद एवं हॉस्पिटल
Manduwala Dehradun, Uttarakhand